तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 22/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
12.4.2021		

पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी डायालाल ओझा पुत्र देवशंकर ओझा, जाति– ओझा, निवासी– गुलाबगंज, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबाकरर्ता, होटल माधवी, एन.एच.62, वीरवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर उपस्थित, जिन्होनें प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया।

आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.7.2020 को होटल माधवी, एन.एच. 62, वीरवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ स्टार्च पाउडर (अनिल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1150 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./338/Act/2020/338 दिनांक 10.8.2020 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस ज़ारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर उपस्थित हुये।

प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर की आज दिनांक 12.4.2021 को बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायलय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 30.7.2020 को समय 12.15 पी.एम. पर होटल माधवी, एन.एच.62, वीरवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी डायालाल ओझा पुत्र देवीशंकर ओझा, जाति– ओझा, निवासी– गुलाबगंज, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो होटल माधवी में आम जनता के लिये खाना बनाने में स्टार्च पाउडर (अनिल ब्राण्ड) का उपयोग करता है एवं उस खाने की बिक्री आम जन को करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के खाना बनाने हेतु उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ स्टार्च पाउडर (अनिल ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने का निश्चय किया करते हुए इसकी सूचना प्रतिवादी डायालाल को गवाह श्री ...शाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:13:34 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 22/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व प्रपत्र 5ए में रसीद प्राप्त की, पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र 5ए पर प्रतिवादी डायाराम, उक्त गवाह व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल के स्टोर रुम में अलमारी की रैक में आम जन के उपयोग हेतु मौजूद स्टार्च पाउडर (अनिल ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ स्टार्च पाउडर (अनिल ब्राण्ड) के 2 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 120/– (अक्षरे रुपये एक सौ बीस मात्र) नकद अदा कर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक S–1150, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा स्टार्च पाउडर (अनिल ब्राण्ड) के दोनों पैक्ड पाउचेज को खोलकर चार साफ, सूखी, खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा। दो नमूना शीशीयों के साथ खाद्य पदार्थ स्टार्च पाउडर (अनिल ब्राण्ड) के मूल पैकिंग लेबल लगाये तथा चारों शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया तथा चारों नमूना शीशीयों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लीप S-1150 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी डायालाल ओझा व उक्त गवाहानं के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका रिपोर्ट तैयार की जिसे प्रतिवादी डायालाल ने पढ सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर प्रतिवादी डायालाल व उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ स्टार्च पाउडर (अनिल ब्राण्ड) का एक नमूना भाग व फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा दिनांक 31.7.2020 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री सिद्धार्थ तोमर, वार्ड बाय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जांच हेतु जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा शेष सीलबन्द तीन नमूना भाग व फार्म नं. 6 का सीलबन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 30.7.20[illegible] करवाकर रसीद प्राप्त की गई। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रदत्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./338/Act/2020/338 [illegible] 10.8.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ [illegible] (अनिल ब्राण्ड) का नमूना संख्या

......लगतार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:13:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 22/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

S-1150 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र संख्या:एफएसएसए/2019/382-84 दिनांक 24.8.2020 के द्वारा प्रतिवादी डायालाल ओझा को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाकर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर अपील आवेदन प्रारुप-8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन पुनः जांच हेतु प्रतिवादी ने आवेदन नही किया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी डायालाल ओझा ने उक्त खाद्य पदार्थ स्टार्च पाउडर (अनिल ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी डायालाल ओझा पुत्र देवीशंकर ओझा, जाति- ओझा, निवासी- गुलाबगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, होटल माधवी, एन.एच.62, वीरवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही ने मिथ्याछाप (Misbranded) ने खाद्य पदार्थ स्टार्च पाउडर (अनिल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत प्रतिवादी डायालाल ओझा पुत्र देवीशंकर ओझा, जाति- ओझा, निवासी- गुलाबगंज, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, होटल माधवी, एन.एच. 62, वीरवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 12.5.2020 को पेश हो।

12/4/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:13:34 IST
Reason: SelfAttested